

पत्रांक:- 14/सा1-08/1997...

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,  
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

कुलसचिव,  
बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक...../...../2020

विषय:- प्रिया रानी राय डिग्री महाविद्यालय, बैरगनिया, सीतामढ़ी को स्नातक कला संकाय (पास एवं प्रतिष्ठा स्तर) सत्र 2020-21 से स्थायी संबंधन तथा स्नातक विज्ञान एवं वाणिज्य संकायो में पास एवं प्रतिष्ठा स्तरों में सत्र 2020-21 एवं 2021-22 के लिए अस्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके विश्वविद्यालय के पत्रांक-B/714 दिनांक 27.05.2020 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-21 (2) (d) के अधीन एवं राज्यपाल सचिवालय से निर्गत परिनियम संख्या-1098 दिनांक 19.04.1986, पत्रांक 3196 दिनांक-14.12.2017 एवं पत्रांक-3074 दिनांक-25.10.2019 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने प्रिया रानी राय डिग्री महाविद्यालय, बैरगनिया, सीतामढ़ी को स्नातक कला, (पास एवं प्रतिष्ठा स्तर) सत्र 2020-21 से प्रस्तावित विषयों में स्थायी संबंधन की स्वीकृति तथा स्नातक विज्ञान एवं वाणिज्य संकायो में पास एवं प्रतिष्ठा स्तरों के प्रस्तावित विषयों में सत्र 2020-21 एवं 2021-22 के लिए महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि का भुगतान महाविद्यालय को अपने आंतरिक स्रोत से करने के निदेश के साथ अस्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध में सहमति प्रदान की है।

क्र० सं०	संकाय	विषय	संबंधन की स्थिति
01	कला संकाय: (पास एवं प्रतिष्ठा)	हिन्दी, अंग्रेजी, ऊर्दू, संस्कृत, फारसी, नेपाली, भोजपुरी, मैथिली, पाली, बंगला, इतिहास भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, समाजशास्त्र, प्राकृत एवं जैनोलॉजी, गृह विज्ञान, संगीत, गणित, ग्रामीण अर्थशास्त्र, ऋम एवं समाज कल्याण, गांधी विचार (कुल 25 विषयों में)	शैक्षणिक सत्र 2020-21 से स्थायी संबंधन।
02	विज्ञान संकाय: (पास एवं प्रतिष्ठा)	भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जन्तुविज्ञान एवं गणित (कुल 05 विषयों में)।	शैक्षणिक सत्र 2020-21 एवं 2021-2022 के लिए अस्थायी संबंधन।
03	वाणिज्य संकाय (पास एवं प्रतिष्ठा)	एकाउन्टेन्सी, बिजनेस इनवॉरमेन्ट, एवं कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन (कुल 03 विषयों में)।	शैक्षणिक सत्र 2020-21 एवं 2021-2022 के लिए अस्थायी संबंधन।

यह आदेश विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिए गए परामर्श के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। साथ ही एल0पी0ए0 संख्या-1404/2018 में विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में दायर M.J.C के फलाफल से उक्त आदेश प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक 28/08/2020

ज्ञापांक- 14/सा1-08/1997...-892  
प्रतिलिपि:- माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/उप सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा/सचिव, प्रिया रानी राय डिग्री महाविद्यालय, बैरगनिया, सीतामढ़ी एवं आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव